

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in



सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

Ref. No. SU/REG/F-1/07/2018/Vol-I /135

Date: 18th May 2026

Notification - 31 /2026

The Executive Council in its 47th meeting held on 27th February 2026, on the recommendations of the Academic Council, approved the Amendment to Ordinance OB-3 on Governing Leave to Teachers of the University pertaining to Duty Leave in conformity with UGC Regulations on "Minimum Qualifications for Appointment of Teachers & Other Academic Staff, 2018". The amended Ordinance OB-3 pertaining to Duty Leave is mentioned hereunder:

- i. Duty Leave upto 30 days in an academic year (including travel time) may be granted for the following purposes:
 - a. Attending Orientation Programme, Refresher Course, Research Methodology Workshop, Faculty Induction Programme, Conference, Congresses, Symposia and Seminar, as a delegate nominated by the university or with the permission of the university;
 - b. Delivering lectures in institutions and universities at the invitation of such institutions or universities received by the university, and accepted by the Vice- Chancellor;
 - c. Working in another Indian or foreign university, any other agency, institution or organisation, when so deputed by the university;
 - d. Participating in a delegation or working on a committee appointed by the Government of India, State Government, the University Grants Commission, a sister university or any other similar academic body;
 - e. For attending meetings in the Ministry of Education, UGC, DST, etc. where a teacher is invited to share his/her expertise with an academic body, government agency or NGO; and
 - f. For performing any other duty of the University assigned by the Vice-Chancellor.
- ii. Duty Leave shall be sanctioned by the Vice-Chancellor.
- iii. The application for duty leave shall be recommended by the Head of the Department and forwarded by the Dean of the School to the Vice-Chancellor after taking into account the academic needs of the Department. While recommending the application, the Head of the Department shall specify that alternative arrangements for the academic duties of the faculty member concerned have been made without asking for a substitute/ extra academic position.



सिक्किम विश्वविद्यालय SIKKIM UNIVERSITY

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसो) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/F-1/07/2018/Vol-I /135

दिनांक: 18 मई 2026

अधिसूचना - 31 /2026

दिनांक 27 फरवरी 2026 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 47वीं बैठक में शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों के आधार पर यूजीसी विनियमों के अनुरूप "शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता, 2018" पर कार्यार्थ छुट्टी से संबंधित विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए शासकीय छुट्टी पर किये गए संशोधन को मंजूरी दी गई है। कार्यार्थ छुट्टी से संबंधित संशोधित अध्यादेश ओबी-3 का उल्लेख निम्नानुसार है :

- i. निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 30 दिनों तक की कार्यार्थ छुट्टी (यात्रा समय सहित) की अनुमति दी जा सकती है:
 - क. विश्वविद्यालय द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में या विश्वविद्यालय की अनुमति से, अभिविन्यास कार्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, शोध क्रिया प्रविधि कार्यशाला, संकाय प्रेरण कार्यक्रम, सम्मेलन, कांग्रेस, संगोष्ठी और सेमिनार में भाग लेना;
 - ख. संस्थानों या विश्वविद्यालयों से विश्वविद्यालय को प्राप्त निमंत्रण पर और कुलपति के अनुमोदन पर संस्थानों या विश्वविद्यालयों में व्याख्यान प्रदान करना ;
 - ग. विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त किये जाने पर किसी अन्य भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय, किसी अन्य अभिकरण, संस्थान या संगठन में कार्य करना;
 - घ. भारत सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, किसी सह-पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय या किसी अन्य अनुरूप शैक्षणिक निकाय द्वारा नियुक्त प्रतिनिधिमंडल में भाग लेना या किसी समिति में कार्य करना;
 - ङ. शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी, डीएसटी आदि में बैठकों में भाग लेने के लिए, जहां एक शिक्षक को एक शैक्षणिक निकाय, सरकारी अभिकरण या एनजीओ के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है; और
 - च. कुलपति द्वारा सौंपे गए विश्वविद्यालय के किसी अन्य कर्तव्य का पालन करने के लिए।
- ii. कार्यार्थ छुट्टी कुलपति द्वारा स्वीकृत की जाएगी।
- iii. कार्यार्थ छुट्टी के लिए आवेदन की सिफारिश विभाग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और विद्यापीठ के डीन द्वारा विभाग की शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुलपति को अग्रेषित किया जाएगा। आवेदन की सिफारिश करते समय, विभाग के अध्यक्ष को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि किसी स्थानापन्न/अतिरिक्त शैक्षणिक पद की मांग किये बिना संबंधित संकाय सदस्य के शैक्षणिक कर्तव्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in



सिक्किम विश्वविद्यालय SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

- iv. The duration of duty leave should be such as may be considered necessary by the Vice-Chancellor on each occasion.
- v. The duty leave may be granted on full pay, provided, that if the teacher receives a fellowship or honorarium or any other financial assistance beyond the amount needed for normal expenses, he/she may be sanctioned duty leave on reduced pay and allowances.
- vi. Duty leave may be combined with earned leave, half-pay leave or extra-ordinary leave, or casual leave.


(Pratap Keshari Dash)
Registrar

Distribution:

1. PS to VC for kind information of the Vice-Chancellor
2. PS to Registrar
3. Finance Officer
4. Controller of Examinations
5. Librarian
6. Deans of all Schools of Studies
7. Dean, Students' Welfare
8. Head(s)/In-charge(s) of all Departments
9. Officer In-charge (Academics)
10. Deputy Registrar (Establishment)
11. System Management – with a request to upload the Notification on the website
12. Office Copy
13. Guard file

कुलसचिव
Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University
गंगटोक, Gangtok

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in



सिक्किम विश्वविद्यालय SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

- iv. जो प्रत्येक अवसर पर कार्यार्थ छुट्टी की अवधि ऐसी होनी चाहिए जैसा कि कुलपति द्वारा आवश्यक समझी जाए।
- v. कार्यार्थ छुट्टी पूर्ण वेतन पर दिया जाएँ, बशर्ते कि यदि शिक्षक को सामान्य खर्चों के लिए आवश्यक राशि से अधिक फैलोशिप या मानदेय या कोई अन्य वित्तीय सहायता मिलती है, तो उन्हें कम वेतन और भत्तों पर कार्यार्थ छुट्टी दी जा सकती है।
- vi. कार्यार्थ छुट्टी अर्जित छुट्टी, अर्ध-वेतन छुट्टी या असाधारण छुट्टी या आकस्मिक छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है।

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी
4. परीक्षा नियंत्रक
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. सभी अध्ययन विद्यापीठों के डीन
7. छात्र कल्याण डीन
8. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
9. प्रभारी अधिकारी (शैक्षणिक)
10. उप कुलसचिव (स्थापना)
11. सिस्टम मैनेजमेंट – वेबसाइट पर अधिसूचना को अपलोड करने के निवेदन के साथ
12. कार्यालय प्रति
13. सुरक्षा फाइल

प्रताप
(प्रताप केशरी दाश)
कुलसचिव
कुलसचिव
Registrar
सिक्किम विश्वविद्यालय
Sikkim University
गंगटोक, Gangtok